THE MINISTER OF TOURISM (MUFTI MOHD. SAYED) : (a) The requisite information is given below :

(Rupees in lakhs)

Year	*Net Loss*
1983-84	18.01
1984-85	58.39
1985-86	37.34

(b) It will be known after March, 1987 after the close of the financial year.

(c) During the current year, an amount of the order of Rs. 5.36 lakhs was paid to the employees of Akbar Hotel as bonus @ 8.33% for the year 1985-86.

Payments to investors by brokers of Delhi Stock Exchange

2793. DR. H. P. SHARMA :
SHRI BHAGATRAM MANHAR :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in pursuance of Government directive issued to the Delhi Stock Exchange Board *vide* his Ministry's letter No. F. 1/6/SE/84, dated February 15, 1984, the Board had decided that all pending transactions upto February 12, 1984 be settled by delivery upto March 23, 1984, or else by closing them out at the rate as prevalent on March 26, 1984;

(b) if so, whether the transactions so settled by way of closing them out at the rates as prevalent on March 26, 1984 have not been factually settled to far by way of actual payment of dues arising therefrom by the broker members of the Exchange to the investors;

(c) whether payments to the tune of over 50 lakhs still remain to be made by the brokers; and

(d) if so, what steps Government contemplate to expedite payments to the investors ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) All the transactions which were closed out at the rates as prevalent on 26-3-84 could not be settled on account of considerable work involved in verification of claims etc. The Delhi Stock Exchange has estimated the total payment involved in the transactions at about Rs. 40 lakhs.

(d) Government have directed the Delhi Stock Exchange to take immediate action to settle the pending cases.

Employers' liabilities

2794. SHRIMATI SUDHA VIJAY JOSHI : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether any proposal is under Government's consideration to make it compulsory for each employer to insure his statutory liability under Workmen's Compensation Act, Factories Act, etc., so that workmen who are not getting coverage under the Employees' State Insurance Scheme are adequately protected;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) if not, what are the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA) : (a) to (c) There is a proposal to provide for compulsory insurance of employers' liability under the Workmen's Compensation Act, 1923. The details of the proposal are, however, yet to be finalised. As regards the Factories Act, there is no such proposal under consideration of the Government, as the Factories Act does not deal with compensation to workers for disability arising in the course of employment.

मैंढक की टांगों का निर्यात

2795. **श्री शरद यादव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 सितम्बर, 1986 के 'नई दुनिया' में, "मैंढक की समाप्ति टाइम-बम साबित होगी" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया

गया है, यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार मैंढक की टांगों का कितनी-कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि मैंढक फसलों को कीड़ों से बचाते हैं; और

(घ) क्या सरकार मैंढकों की पैदावार बढ़ाने और उनकी टांगों के निर्यात को रोकने का विचार रखती है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी) : (क) जी नहीं।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान मैंढक की टांगों के निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहे :—

वर्ष	मात्रा (मे० टन में)	मूल्य (लाखों रु. में)
1983-84	2428	668.36
1984-85	2778	777.49
1985-86	1746	742.73

(स्रोत : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण)।

(ग) इस विषय पर वैज्ञानिक मत अलग-अलग हैं।

(घ) मैंढक पालन के विकास के माध्यम से मैंढकों का उत्पादन बढ़ाने के प्रश्न की ओर सरकार का पहले ही ध्यान है। मैंढक की टांगों का निर्यात कोटा प्रणाली के माध्यम से विनियमित है और चालू वर्ष के लिए कोटा की रिलीज को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

मध्य पूर्व के देशों के साथ आयात और निर्यात

2796. **श्री राम अवधेश सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इराक, ईरान, कुवैत और सऊदी अरब को किन-किन वस्तुओं का कितनी-कितनी मात्रा में निर्यात किया गया तथा उपर्युक्त अवधि के दौरान इन देशों में से किस-किस देश से किन-किन वस्तुओं का कितनी-कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(ख) इन देशों को और किन-किन वस्तुओं का निर्यात किए जाने की संभावनाएं हैं;

(ग) ईरान-इराक युद्ध के कारण कितनी धनराशि रुकी हुई पड़ी है, और

(घ) क्या ईरान-इराक युद्ध का भारत के आयात-निर्यात व्यापार पर विपरित प्रभाव पड़ा है; यदि हां, तो किस सीमा तक?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी) : (क) विगत 3 वर्षों के दौरान इराक, ईरान, कुवैत और सऊदी अरब को निर्यात की गई मुख्य मदें थीं: मांस, जीवित पशु, मछली, अनाज, अनाज से बनी वस्तुएं, सब्जियां, फल, चाय, काफी, मसाले, तम्बाकू, रसायन, वस्त्र, इंजीनियरी सामान तथा रत्न एवं आभूषण मदें। उपरोक्त प्रत्येक देश को निर्यातों का कुल मूल्य निम्नोक्त प्रकार था:—

(करोड़ रु० में)

	1983–84	1984–85	1985–86
इराक	52.07	48.71	35.49
ईरान	125.99	134.00	94.86
कुवैत	110.06	106.87	122.16
सऊदी अरब	213.52	271.78	213.02

उपरोक्त अवधि के दौरान इन देशों से आयातित प्रमुख मदें थीं: कच्चा तेल, गन्धक, लुगदी व रद्दी कागज, उर्वरक। आयातों का कुल मूल्य निम्नोक्त प्रकार था:—